

पत्र क्रमांक 61-3397/सू0अ0/2014 - 118409

दिनांक 22.05.2014

प्रति,

श्री संकेत गुप्ता  
जीवन शालीमार पार्क,  
कोलार रोड भोपाल  
(म.प्र.)

विषय:-सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत चाही गयी जानकारी बावत्।

संदर्भ:-सूचना का अधिकार के अंतर्गत आपका पत्र दिनांक 21.04.2014

महोदय,

आवेदक द्वारा चाही गयी जानकारी के संदर्भ में संबद्ध अनुभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार निम्न सूचना प्रेषित की जा रही है:-

प्र.क्र.	उत्तर
1	यह जानकारी प्रदेश के बी.एड. कॉलेज से संबंधित विश्वविद्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
2	प्रदेश के उन सभी महाविद्यालयों में जिनको एन.सी.टी.ई. के Regulation 2009 के अनुसार बी.एड. की मान्यता दी गई है, में प्राचार्य पी.एच.डी. (शिक्षा संकाय) है, एवं अन्य अर्हता जैसे एम.एड./एम.ए. एज्युकेशन एन.सी.टी.ई. के नार्म्स के मुताबिक है। (सूची वेबसाइट पर उपलब्ध है।)
3	सभी महाविद्यालयों में शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टाफ की सूची एन.सी.टी.ई. के कार्यालय में जमा करने के उपरान्त उक्त दस्तावेज समिति के समक्ष रखा जाता है, तत्पश्चात सूची का अवलोकन कर समिति द्वारा मान्यता प्रदान करने का निर्णय लिया जाता है। (सूची वेबसाइट पर उपलब्ध है।)
4	आवेदक द्वारा चाही गई जानकारी स्पष्ट नहीं है। आवेदक यदि किसी संस्था विशेष की जानकारी चाहता है तो उस संस्था का नाम एवं कोड बताने पर उस संस्था की जानकारी दी जा सकती है।
5-6	मध्यप्रदेश में एनसीटीई, डब्ल्यूआरसी, भोपाल द्वारा मान्यता प्राप्त कुल बी.एड. कॉलेजों की सूची डब्ल्यूआरसी, भोपाल की वेबसाइट <a href="http://www.ncte-india.org">www.ncte-india.org</a> से प्राप्त की जा सकती है।

*It returned  
Add. bound correct  
May be  
42 viewed  
in the website*

*RD/MP*

RD \_\_\_\_\_

US \_\_\_\_\_

RO \_\_\_\_\_

SO \_\_\_\_\_

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

*3/0 11/11*

(डी.एन.झा)

जनसूचना अधिकारी

117295

3/6/14